न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 31/2008

1 रिछपाल सिंह पुत्र जगन सिंह।
2 मोतीसिंह पुत्र जगन सिंह।
3 अशोक कुमार पुत्र जगन सिंह।
4 बृजमोहन पुत्र जगन सिंह।
5 रामकुमार पुत्र जगन सिंह।
6 राजेन्द्र सिंह पुत्र जगन सिह।
7 श्रीमती केशर पत्नी जगन सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 30 सीकर तहसील व जिला सीकर जरिये मुख्तयार लिछमण सिंह पुत्र जगन सिंह जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 30 सीकर तहसील व जिला सीकर।
8 लक्ष्मण सिंह पुत्र जगन सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 30 सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय सीकर।
2 तहसीलदार महोदय सीकर।
3 रामस्वरूप पुत्र सुखदेव प्रसाद।
4 सोहनलाल पुत्र सुखदेव प्रसाद।
5 सांवरमल पुत्र सुखदेव प्रसाद।
5/1 परमेश्वरी पत्नी सांवरमल।
5/2 सरोज पुत्री सांवरमल।
5/3 सुगना पुत्री सांवरमल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5/4 बलराम पुत्र सांवरमल।
5/5 छोटू पुत्र सांवरमल।
5/6 मुकेश पुत्र सांवरमल।
6 सुखदेव पुत्र मन्नाराम।
7 मनीराम पुत्र रामेश्वरलाल।
8 बिड़दीचन्द पुत्र भींवाराम।
9 कजोड़ पुत्र पन्नाराम।
9/1 प्रकाश दत्तक पुत्र कजोड़।
10 जगदीश पुत्र देवीसिंह।
11 लादूराम पुत्र रूपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 30 सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 03.03.2008 दावा संख्या 03/1997 बउनवानी जगन सिंह बनाम सरकार

उपस्थिति :

1. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 17.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 03/1997 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 1133, 1134,1137 तन कस्बा सीकर का अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा की भी इश्तदुआ की। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा वाद धारा 88 व 188 बाबत उदघोषणा, अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जो कब्जे के आधार पर पेश किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार का वाद लाने के लिये अपीलांट स्वंतत्र है। जिसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्जित नही किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से इस बात का कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नही है। दोनों विचाराधीन विधिक प्रश्न अलग–अलग है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय आदेश 7 नियम 11 पर ही खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 318,378,379, 1134,1137 बाबत विचारण न्यायालय में मुकदमा नम्बर 43/1987 बउनवानी भगवानी बनाम जगन सिंह जिसका निर्णय दिनांक 27.09.1989 किया जाकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भगवानी का दावा खारिज किया गया। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी सीकर में अपील संख्या 32/1989 भगवानी वनाम जगनसिंह जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.1997 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03.02.2004 पारित की गई। राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो इडमिशन स्टेज पर ही खारिज हो चुकी थी। जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4955/1993 में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में लम्वित दावा चलने योग्य नही था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्वर 318,378,379, 1134,1137 बाबत अनुतोष चाहा था। विचारण न्यायालय में मुकदमा नम्वर 43/1987 बउनवानी भगवानी बनाम जगन सिंह जिसका निर्णय दिनांक 27.09.1989 किया जाकर भगवानी का दावा खारिज किया गया। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी सीकर में अपील संख्या 32/1989 भगवानी वनाम जगनसिंह जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.1997 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03.02.2004 पारित की गई। राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो इडमिशन स्टेज पर ही खारिज हो चुकी थी। जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4955/1993 में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर